न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ–बास जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– श्री ओमप्रकाश सहारण आर.ए.एस. किशनगढबास

प्रार्थना पत्रसं. 07 / 20 | प्रवेश तिथि 05.3.20 | निर्णय दिनांक 4.01.22

उनवान

1. वेदप्रकाश पुत्र काशीराम जाति जाट
2. विनयकुमार काशीराम जाति जाट
3. विनोदकुमार काशीराम जाति जाट
4. सुनीलकुमार काशीराम जाति जाट
5. प्रेमकुमार पि0 ओमप्रकाश जाति जाट निवासी ग्राम नूरनगर तहसील किशनगढबास
6. मु0 प्रसन्ना देवी बेवा दौलतराम
7. अशोक कुमार
8. बलबीर सिंह
9. बलवन्त सिंह
10. करनसिंह पुत्र परसराम
11. पृथ्वी सिंह पुत्र जगतराम
12. नायादेवी पत्नी पृथ्वीसिंह जाति जाट निवासी बम्बोरा तहसील किशनगढबास जिला अलवर

:– प्रार्थीगण:–

बनाम

1–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब (भू. अ.) किशनगढबास तहसील किशनगढबास जिला अलवर राजस्थान ।

:– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 ले.रे.एक्ट :--

प्रार्थनापत्र के सूक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार है –यह है कि राजस्व ग्राम नूरनगर तहसील किशनगढबास में हाल आराजी ख0न0 202/0.62 हे0, ख0न0 197/0.80 हे0, ख0न0 195 रकबा 0.051, हे0, 196रकबा 0.06,, 206 रकबा 0.75 हे0, 207 रकबा 0.53 हे0. 208 रकबा 1.02 हे0किता 5 रकबा 2.87 हे0 तथा 199 /0.52 हे0 201 रकबा 0.27 हे0 203 रकबा 0.68 हे0 205 रकबा 0.89 हे0 खाता नं0 347,348,349,247,262,164 कुल किता 11 कुल रकबा 6.65 हे0 दर्ज हिस्सा जमाबदी के अनुसार ग्राम नूरनगर तहसील किशनगढबास जिला अलवर में मिन सायलान की खरीदशुद्वा खातेदारी की आराजी है। जिस पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। प्रार्थीगण के पिता को व दादा मृतक जगतराम पुत्र बाकाराम जाट को भारत में विस्थापित होने पर ग्राम बम्बोरा में जमीन आवंटित हुई थी जिसमें पक्षकारान के पिता व दादा मृतक जगतराम पुत्र बाकाराम की कौम जाट अंकित है।खतौनी अनोटमेन्ट संवत 2016–2019 में सायलान के पिता व दादा की जाति जाट अंकित है। नकल खातोनी अलोटमेन्ट संलग्न है।किन्तु सायलान ग्राम बम्बोरा की भूमि का बेचान कर ग्राम नूरनगर की तहसील किशनगढबास में जमीन खरीद उसकी कायन चौसाला जमाबन्दीयात में सायलान की जाति जाट के स्थान पर जाट पजाबी गलत अंकित कर दी। ताहाल जमाबंदीया तने सवत 2071 –74 में भी चली आ रही है। जबकि राज्य सरकार के परिपत्र भू–राजस्व अधिनियम 1955 की धारा 136 एवं राजस्थान राज्य राजस्व नियम 1957 के नियम 369 के अन्तर्गत उक्त अभिलेखो मे जाति संबंधित श्रुटि को सम्बधित पक्षकारान का नोटिस देकर एएवं

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

ुनकर दुरूस्त किया जाना प्रस्तावित है। उक्त प्ररिपत्र की अनुपालना मे समस्त राजस्व अधिकारियो का क्रमांक न्याय/04/11989–12008 दिनांक 29.11.05 के द्वारा परिपालना हेतु कार्यालय आदेश प्राप्त होचुके है। अतः प्रार्थ्रना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट प्रस्तुत करना लाजिम आया है।

अतः प्रार्थना है कि बाद तहकीकात प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर उपरोक्त आदेशो परिपत्रो की पालना में खतोनी अलोटमेन्ट के आधार पर ताहाल जमाबंदीयात तथा समस्त राजस्व रिकार्ड में सायलान की जाति जाट पंजाबी में पंजाबी शब्ट को हजफ कर जाति जाट अंकित कराया जाकर दुरूस्ती कराए जाने की आज्ञा फरमाई जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी बावजूद सूचना उपस्थित नही ओर ना ही जवाब प्रस्तु किया। उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। वकील प्रार्थी उपस्थित वकील प्रार्थी को सुना गया तथा पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया। पत्रावली में सलग्न शरणार्थी विभाग मत्स्य अलौटमेंन्ट आराजी व खतौनी सवत 2016 से 2019 में प्रार्थीगण के पिता व दादा मृतक जगतराम पुत्र बाकाराम की जाति जाट अंकित, के आधार पर एवं राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रो के आधार पर प्रार्थीगण की जाति जाट अंकित किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है किः–

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है कि हाल राजस्व ग्राम नूरनगर तहसील किशनगढबास में हाल आराजी ख0न0 202/0.62 हे0, ख0न0 197/0.80 हे0, ख0न0 195 रकबा 0.051, हे0, 196रकबा 0.06,, 206 रकबा 0.75 हे0, 207 रकबा 0.53 हे0, 208 रकबा 1.02 हे0किता 5 रकबा 2.87 हे0 तथा 199 /0.52 हे0 201 रकबा 0.27 हे0 203 रकबा 0.68 हे0 205 रकबा 0.89 हे0 खाता नं0 347,348,349,247,262,164 कुल किता 11 कुल रकबा 6.65 हे0 आराजी ख0न0 1370 रकबा 1.1100 हे0, वाके ग्राम नूरनगर तहसील किशनगढबास मे प्रार्थीगण की जाति **जाट पंजाबी** को हजफ कर **जाट** अंकित किया जाने के आदेश दिये जाते है।तदनानुसार ही राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जावे। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार किशनगढबास को भिजवाई जावे। प्रार्थना पत्र फैसल सुमार होकर लेख भण्डार हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास(अलवर)